



**न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर**

339

प्र.कं.

/2017 पुनरीक्षण II/निगरानी/सिंगरौली/शुल्क/2017/4768

~~श्री सुकेश माथे व माथे~~  
द्वारा आज दि. 30-11-17 को  
प्रस्तुत

रामभजन पिता बतूसन लोहार

निवासी ग्राम खेखडा तहसील देवसर

जिला सिंगरौली (म.प्र.)

.....आवेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट 30-11-17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

क्र.दि. 14-12-17

1. उमाशंकर पुत्र स्व. छंगाराम द्विवेदी

2. शिवशंकर पुत्र. स्व. छंगाराम द्विवेदी

दोनों निवासीगण ग्राम खेखडा तहसील

देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

W3  
सुकेश माथे  
एडवोकेट  
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा मामला  
क्रमांक 02/निगरानी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक  
04.10.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा  
50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

339

अनुवृत्ति आदेश प्रच्छ

प्रकरण क्रमांक 02/निज/सिज/भूरा/17/4768

रामभजन / उमाशंकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>शुकेश</u>                      अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u>                      के प्रकरण क्रमांक <u>02/निज/12-13</u> में पारित आदेश दिनांक  <u>04/10/17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में                      दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित                      संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु                      प्रकरण आयुक्त संभाग <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया                      जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को संभागीय आयुक्त  <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p><u>सदस्य</u></p>